

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

त ३ परबण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना
 अजायपाल सिंह बनाम लीएस होल्डर
 मा दावा नं० ५१० सन् २०११

म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
---	-----------------------------------	---

१-१३-११ माफ पत्रावली पेश हुई
 निवेदन सहित हो चुकी है जज
 रजिस्ट्रार को अज्ञात हो गया
 तबले को बाद तलबी पत्राव
 दिनांक १०-१-२२ को पेश हो

उपस्वण्ड अधिकारी
 नीमराना (अलवर) राज.

१०-१-२२ आज पत्रावली पेश हुई वकील
 वादी उपस्थित नहीं। पत्रावली प्रतिवादी
 जारी समान तलवाना से तलब हो।
 पत्रावली वास्तु तलबी दिनांक २२-२-२२
 को पेश हो।

उपस्वण्ड अधिकारी
 नीमराना (अलवर) राज.

२२/२२ आज पत्रावली पेश हुई। वकील
 पीठासीन अधिकारी अलवर।
 दिनांक में पत्रावली पत्रावली उनक
 मयस नि ११-१-११ का पेश हो।

नाम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
हकाम की तारीख
में जारी हुए

हकाम

हकाम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

3-4-24 आज पत्रावली पेश हुई। दफ्तर : श्रीकेन
उप श्री पीछसीन अधिकारी अ-आशादोरे 27/07/2024
मिटिंग में पधारें है। पत्रावली उनके
समक्ष दि०...1.8-4-24...को पेश हो। ✓

18-4-24 आज पत्रावली पेश हुई। दफ्तर : श्रीकेन
उप श्री पीछसीन अधिकारी अ-आशादोरे 27/07/2024
मिटिंग में पधारें है। पत्रावली उनके
समक्ष दि०...8-5-24...को पेश हो। ✓

8-5-24 आज यह पत्रावली पेश हुई। नार सच नीमराना द्वारा कार्य
स्वगन किये जाने का आपन पेश किया है। पत्रावली पूर्व
भादेशिकानुसार अभियंता कार्यावाही हेतु दिनांक 2.3.24-24
को पेश हो। ✓

13/07/2024 आज यह पत्रावली वकील कादी की प्रकृता लोक अदालत
के आपन ले निर्णित किये जाने के कारण की प्रकृता पत्र पेश होकर
स्वीकार होने पर पेश हुई। वकील कादी शब्दीय लोक अदालत
मुख्यालय नीमराना में उपस्थित। वकील कादी ने शपथ-पत्र
अजयपाल सिंह PW-1 लाल सिंह PW-2 अनेज PW-3 पेश
किये, शा. कि. हो। वकील कादी के प्रकृता निर्धारित करिये
जाने का निर्देश किया। सुना गया। अर्थात् प्रकृता नाम दुसरी
काई। कुलार का सुना गया। कादी का हाल पं० नं० 165/0.49
के प्रकृता गूगल कोटा तहसील नीमराना के कारण के काद को
स्वीकार योग्य पाये जाने की रिपोर्ट में डिक्ली किया जा रहा
है एवम विस्तृत निर्णय प्रकृता लाल काका काद हेतु कर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णित सुनाया
हो। नम्बर ले कम हो। काद लकरील जमा
जिला लेव गडा हो। अनेज आश में सुनाया गया।

उपस्थंड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बरोड)